मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
<u>अधिसूचना</u>

भोपाल दिनांक 19 जनवरी, 2022

क्रमांक 55/1027/2021/32-3 इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1090/1027/2021/32-3 दिनांक 31.12.2021 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

2/ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुशंसा पश्चात्, एतद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)(सम्मति)मध्य प्रदेश नियम 1975 में दिनांक 26/6/2018 एवं दिनांक 5/10/2018 में जारी अधिसूचना के नियम 4 के खण्ड (पांच) की सारणी एक एवं चार को निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः-

''**उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों इत्यादि** के द्वारा जल सम्मति हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र के साथ यथा निर्दिष्ट स्थापना/उत्पादन सम्मति शुल्क सम्यक रूप से जमा की जायेगी, जो दिनांक 1/1/2022 के उपरांत प्राप्त आवेदन पर मान्य होगा :-

क्र	कुल विनिधान रूपये करोड़ में	शुल्क
1	रूपये 1 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.04 प्रतिशत अधिकतम शुल्क राशि रूपये 3000/-
2	रूपये 1 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रूपये 10 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.03 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 15000/-
3	रू. 10 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रूपये 50 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.02 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 50000/-
4	रूपये 50 करोड एवं उससे अधिक विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 50 लाख

जल एवं वायु सम्मति हेतु पृथक-पृथक देय होगा, अधिसूचना दिनांक 26/6/2018 के अन्य भाग पूर्ववत प्रभावशील रहेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

Sd/-
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक - 56/1027/2021/32-3 भोपाल दिनांक 19-1-2022
प्रतिलिपि :-

1 विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, पर्यावरण की ओर सूचनार्थ
2 नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि आगामी राजपत्र में प्रकाशि कराने का कष्ट करें।
3 सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 19 जनवरी, 2022

क्रमांक — 53 /1027/2021/32-3 इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1088/1027/2021/32-3 दिनांक 31.12.2021 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

2. राज्य शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों में प्रशासकीय शुल्क को संशोधित करते हुये म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग, संस्थान, इकाईयों को 1/1/2022 के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर प्रशासकीय शुल्क निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>नियम</th><th>पंजी/ अनु /प्राधिकार</th><th>आवेदन प्रोसेसिंग चार्ज प्रतिवर्ष</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2016</td><td>प्राधिकार</td><td>1. क्लीनिक, पेथोलॉजी लेब, ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड संस्थान, 10 बिस्तर तक के चिकित्सा संस्थान 1,000/- एकबार आजीवन
2. 10-25 बिस्तर तक के चिकित्सालय 1,000/- प्रतिवर्ष
3. 25 बिस्तर से अधिक के चिकित्सालय हेतु रूपये 1000/- प्रतिवर्ष एवं अतिरिक्त बिस्तर हेतु रूपये 100/- प्रतिवर्ष अतिरिक्त
4. पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार)
5. पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016</td><td>पंजीयन/ अनुमति /प्राधिकार</td><td>1 उत्पादक हेतु
<table>
<tr><th>कम</th><th>श्रेणी</th><th>प्राधिकार प्रकिया प्रभार (पांच वर्ष हेतु)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1 करोड से कम सूक्ष्म उद्योग</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1 करोड से अधिक किन्तु 10 करोड से कम लघु उद्योग</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10 करोड से अधिक किन्तु 50 करोड से कम मध्यम उद्योग</td><td>20000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>50 करोड से अधिक वृहद उद्योग</td><td>30000</td></tr>
</table>
2 पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार)
3 पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार)
4 पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार)</td></tr>
</table>

upload Supdt

5	प्लास्टिक अपशिष्ठ नियम,2016	पंजीयन/ प्राधिकार	रूपये 10 करोड से कम विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थान हेतु रू. 1000/- प्रतिवर्ष रूपये 10 करोड एवं उससे अधिक विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थान हेतु रूपये 2000/- प्रतिवर्ष

अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत पूर्व अधिसूचना दिनांक 26/6/2018 के अन्य भाग पूर्ववत प्रभावशील रहेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग

पृष्ठांकन कमांक 54/1027/2021/32-3 भोपाल दिनांक 19-1-2022

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, पर्यावरण की ओर सूचनार्थ
2. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि आगामी राजपत्र में प्रकाशि कराने का कष्ट करें।
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016
PBX No :+91-755-2464428 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 60 /विधि/प्रनिबो/2022 भोपाल, दिनांक 6 JAN 2022

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल/मंडीदीप/इन्दौर/धार/पीथमपुर/उज्जैन/देवास
गुना/ग्वालियर/जबलपुर/छिन्दवाड़ा/कटनी/सागर
सतना/रीवा/सिंगरौली/शहडोल

विषय :- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) म.प्र.नियम 1975 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियम अन्तर्गत उघोग,संस्थान,इकाईयों से लिये जाने वाले प्रशासकीय शुल्क में संशोधन हेतु म.प्र.शासन पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 31/12/2021 को जारी अधिसूचना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) म.प्र.नियम 1975 के तहत उघोग,संस्थान,इकाईया से ली जाने वाली सम्मति शुल्क एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियम अन्तर्गत उघोग,संस्थान,इकाईयों से लिये जाने वाले प्रशासकीय शुल्क में संशोधन किया गया है जिसकी अधिसूचना म.प्र.शासन पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 31/12/2021 को जारी की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कृपया तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क्र.61 / विधि / प्रनिबो / 21, भोपाल दिनांक 6 JAN 2022

प्रतिलिपि

(1) समस्त तकनीकी शाखा / एमएसडब्लू / खतरनाक / बायोमेडीकल वेस्ट / प्रयोगशाला प्रभारी यूनिट हैड मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) प्रभारी आईटी शाखा की ओर अधिसूचना की प्रति संलग्न है। कृपया शीघ्र बोर्ड बेबसाईट पर अपलोड करें।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर 2021

कमांक-1088/10 27/2021/32-3 विभाग की अधिसूचना दिनांक 26/6/2018 के पैरा कमांक 3 में जारी प्रशासकीय शुल्क को संशोधित करते हुये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग, संस्थान, इकाईयों को 1/1/2022 के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर प्रशासकीय शुल्क निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>नियम</th><th>पंजी/ अनु /प्राधिकार</th><th colspan="3">आवेदन प्रोसेसिंग चार्ज प्रतिवर्ष</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016</td><td rowspan="6">पंजीयन/ अनुमति /प्राधिकार</td><td colspan="3">1 उत्पादक हेतु</td></tr>
<tr><td>कम</td><td>श्रेणी</td><td>प्राधिकार प्रकिया प्रभार (पांच वर्ष हेतु)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1 करोड से कम सूक्ष्म उद्योग</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1 करोड से अधिक किन्तु 10 करोड से कम लघु उद्योग</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10 करोड से अधिक</td><td>50000</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 पूर्व अनुसार
3 पूर्व अनुसार
4 पूर्व अनुसार</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्लास्टिक अपशिष्ठ नियम,2016</td><td>पंजीयन/ प्राधिकार</td><td colspan="3">रूपये 10 करोड से कम विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थान हेतु रू. 1000/- प्रतिवर्ष
रूपये 10 करोड एवं उससे अधिक विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थान हेतु रूपये 2000/- प्रतिवर्ष</td></tr>
</table>

अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत पूर्व अधिसूचना दिनांक 26/6/2018 के अन्य भाग पूर्ववत प्रभावशील रहेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग

पृष्ठांकन कमांक-1089/1027/2021/32-3 भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि :-

1 विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, पर्यावरण की ओर सूचनार्थ

2 नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि आगामी राजपत्र में प्रकाशि कराने का कष्ट करें।

3 सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पर्यावरण विभाग
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर 2021

क्रमांक-1090/1027/2021/32-3 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुशंसा पश्चात्, एतद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)(सम्मति)मध्य प्रदेश नियम 1975 में दिनांक 26/6/2018 एवं दिनांक 5/10/2018 में जारी अधिसूचना के नियम 4 के खण्ड (पांच) की सारणी एक एवं चार को निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः-

''**उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों इत्यादि** के द्वारा जल सम्मति हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र के साथ यथा निर्दिष्ट स्थापना/उत्पादन सम्मति शुल्क सम्यक रूप से जमा की जायेगी, जो दिनांक 1/1/2022 के उपरांत प्राप्त आवेदन पर मान्य होगा :-

क	कुल विनिधान रूपये करोड़ में	शुल्क
1	रूपये 1 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.04 प्रतिशत अधिकतम शुल्क राशि रूपये 3000/-
2	रूपये 1 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रूपये 10 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.03 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 15000/-
3	रूपये 10 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रूपये 25 करोड़ से कम	रूपये 75,000/-
4	रूपये 25 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रूपये 50 करोड़ से कम	रूपये 1,00,000/-
5	रूपये 50 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रूपये 100 करोड़ से कम	रूपये 2,00,000/-
6	रूपये 100 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रूपये 200 करोड़ से कम	रूपये 3,00,000/-
7	रूपये 200 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रूपये 500 करोड़ से कम	रूपये 5,00,000/-
8	रूपये 500 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रूपये 1000 करोड़ से कम	रूपये 15,00,000/-
9	रूपये 1000 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रूपये 5000 करोड़ से कम	रूपये 25,00,000/-
10	रूपये 5000 करोड़ से अधिक	रूपये 30,00,000/-

जल एवं वायु सम्मति हेतु पृथक-पृथक देय होगा। आदेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग

पृष्ठांकन कमांक-1091/1027/2021/32-3 भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि :-

4 विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, पर्यावरण की ओर सूचनार्थ

5 नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि आगामी राजपत्र में प्रकाशि कराने का कष्ट करें।

6 सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 5-5-09-बत्तीस.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम-4 के खण्ड (पांच) में सारणी एक एवं सारणी दो को निम्नानुसार संशोधित सारणी एक व सारणी दो से प्रतिस्थापित किया जाता है.

सारणी-एक

क्र. (1)	कुल विनिधान (2)	प्रस्तावित शुल्क (3)
1	रुपये 01 करोड़ से कम	5,000/-
2	रुपये 01 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम	15,000/-
3	रुपये 03 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम	40,000/-
4	रुपये 05 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम	60,000/-
5	रुपये 10 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम	75,000/-
6	रुपये 25 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम	1,00,000/-
7	रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम	2,00,000/-
8	रुपये 100 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम	3,00,000/-
9	रुपये 200 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम	5,00,000/-
10	रुपये 500 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम	15,00,000/-
11	रुपये 1000 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम	25,00,000/-
12	रुपये 5000 करोड़ से अधिक	30,00,000/-

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्-पृथक् शुल्क देय होगा, सारणी एक में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

सारणी–दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रुपये 2,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्-पृथक् शुल्क देय होगा. सारणी दो में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

2. नियम-5 में उपनियम (पांच) (क) में सारणी चार एवं सारणी पांच को निम्नानुसार संशोधित सारणी चार व सारणी पांच से प्रतिस्थापित किया जाता है:—

सारणी–चार

क्र. (1)	कुल विनिधान (2)	शुल्क (रुपये) (3)
1	रुपये 01 करोड़ से कम	5,000/-
2	रुपये 01 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम	10,000/-
3	रुपये 03 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम	20,000/-
4	रुपये 05 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम	30,000/-
5	रुपये 10 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम	50,000/-
6	रुपये 25 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम	75,000/-
7	रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम	1,00,000/-
8	रुपये 100 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम	2,00,000/-
9	रुपये 200 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम	3,00,000/-
10	रुपये 500 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम	5,00,000/-
11	रुपये 1000 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम	15,00,000/-
12	रुपये 5000 करोड़ से अधिक	25,00,000/-

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्-पृथक् शुल्क देय होगा, सारणी चार में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

सारणी–पांच

खदानों से उत्पादन सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रुपये 1,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्-पृथक् शुल्क देय होगा. सारणी पांच में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत लागू होंगे.

3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय शुल्क तालिका अन्तर्गत क्रम संख्या 5 पर वर्णित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अन्तर्गत पंजीयन/अनुमति/प्राधिकार हेतु प्रशासकीय शुल्क की ऊपरी सीमा रुपये 5.00 लाख होगी.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

No. F-5-5-09-XXXII.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government after consulation with the Madhya Pradesh Pollution Control Board, hereby makes the following further amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Praesh Rules, 1975, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 4, sub-rule (5) Table-One and Table-two are substituted with following amended Table-One and Table-two:—

Table - One

S. No. (1)	Total Investment (Rs.) (2)	Fees (Rs.) (3)
1	Less than Rs. 1 crores	5,000/-
2	Equal to or more than 1 crores but less than 3 crores	15,000/-
3	Equal to or more than 3 crores but less than 5 crores	40,000/-
4	Equal to or more than 5 crores but less than 10 crores	60,000/-
5	Equal to or more than 10 crores but less than 25 crores	75,000/-
6	Equal to or more than 25 crores but less than 50 crores	1,00,000/-
7	Equal to or more than 50 crores but less than 100 crores	2,00,000/-
8	Equal to or more than 100 crores but less than 200 crores	3,00,000/-
9	Equal to or more than 200 crores but less than 500 crores	5,00,000/-
10	Equal to or more than 500 crores but less than 1000 crores	15,00,000/-
11	Equal to or more than 1000 crores but less than 5000 crores	25,00,000/-
12	Equal to or more than 5000 crores	30,00,000/-

Fees will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-one will apply as it is.

Table - Two

Fees for consent to establish for mines will be Rs. 2,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-two will apply as it is.

2. In Rule 5, sub-rule (5) (a) Table-four and Table-five are substituted with following amended Table-four and Table-five.

Table - Four

S. No. (1)	Total Investment (Rs.) (2)	Fees (Rs.) (3)
1	Less than Rs. 1 crores	5,000/-
2	Equal to or more than 1 crores but less than 3 crores	10,000/-
3	Equal to or more than 3 crores but less than 5 crores	20,000/-
4	Equal to or more than 5 crores but less than 10 crores	30,000/-
5	Equal to or more than 10 crores but less than 25 crores	50,000/-
6	Equal to or more than 25 crores but less than 50 crores	75,000/-
7	Equal to or more than 50 crores but less than 100 crores	1,00,000/-
8	Equal to or more than 100 crores but less than 200 crores	2,00,000/-
9	Equal to or more than 200 crores but less than 500 crores	3,00,000/-
10	Equal to or more than 500 crores but less than 1000 crores	5,00,000/-
11	Equal to or more than 1000 crores but less than 5000 crores	15,00,000/-
12	Equal to or more than 5000 crores	25,00,000/-

Table - Five

Fees for consent to operate/annual consent renewal for mines will be Rs. 1,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-Five will apply as it is.

3. In the table of the fees payable to M. P. Pollution Control Board for registration/permission/authorization under Environment (Protection) Act, 1986, for Plastic Waste Management Rules, 2016 mentioned at serial no. 5, the upper limit of administrative fee will be Rs. 5.00 Lakhs.

The above amendments shall become effective from the date of publicaiton of notificaion.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैलाश बुन्देला, उपसचिव.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016

कमांक 1020 विधि/प्रनिबो/2018 .. भोपाल, दिनांक 11 SEP 2018

परिपत्र

मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ–5–5/2009/32 दिनांक 26/6/2018 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्य प्रदेश नियम 1975 में संशोधन किये गये हैं । उक्त अधिसूचना की सारणी एक अनुसार उद्योगों/संस्थाओं /इकाईयों से स्थापना सम्मति शुल्क कुल लागत का 0.02 प्रतिशत निर्धारित है ।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उद्योगों/संस्थाओं/इकाईयों जो पूर्व से कार्यरत हैं तथा उनमें क्षमता विस्तार अथवा उन्नयन संबंधी कार्य के लिये विस्तार क्षमता की स्थापना सम्मति हेतु शुल्क, उपरोक्त कार्य में लगने वाले विनिधान के आधार पर लिया जायेगा ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,

पृ0कमांक/ 1021 /विधि/प्रनिबो/2018 भोपाल, दिनांक 11 SEP 2018

प्रतिलिपिः–

1 अवर सचिव, म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर अधिसूचना दिनांक 26/6/2018 के तारतम्य में सूचनार्थ ।

2 समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

3 समस्त आंचलिक/क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जून 2018—आषाढ़ 5 शक 1940

पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून, 2018

क्रमांक एफ 5-5/2009/32-जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्य प्रदेश नियम 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में

1 नियम-4 में खण्ड (पांच) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात :-

(पांच) **उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों** इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारूप के साथ निम्नलिखित **सारणी-एक** में यथा विर्निदिष्ट सम्मति फीस सम्यक रूप से संलग्न की जायेगी, जबकि खदानों के लिये आवेदन प्रारूप के साथ **सारणी-दो** में यथा विर्निदिष्ट सम्मति फीस सम्यक रूप से संलग्न की जायेगी । भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो, खण्ड-3, उपखण्ड (दो) में प्रकाशित पर्यावरण प्रभाव एवं आंकलन अधिसूचना एस.ओ.1533(ई) दिनांक 14 सितम्बर 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं अथवा कियाकलापों हेतु लोक सुनवाई संचालित करने हेतु, राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित **सारणी-तीन** के अनुसार प्रशासकीय फीस प्रभार्य होगी :-

सारणी एक

क	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक	कुल लागत का 0.02 प्रतिशत
2	रूपये 10 करोड या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम	90,000
3	रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम	60,000
4	रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम	15,000
5	रूपये 50 लाख से कम	1,500

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण -

(1) स्थापना सम्मति जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी। पांच वर्ष पश्चात् **उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों इत्यादि** को, **निर्माण/स्थापना** कार्य पूर्ण न करने की दशा में पुनः नई स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी व शुल्क भी देय होगा ।

(2) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णांक में की जायेगी । अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/- देय होगा।

(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा 'बिना मूल्य ह्रास' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा ।

सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.02 प्रतिशत के आधार पर देय होगा, जो न्यनूतम रूपये 25000/- से कम नहीं होगा ।

(4) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

सारणी दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 10,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण :-

(1) स्थापना सम्मति, जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी, पांच वर्ष पश्चात् संस्थान को कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में पुनः सशुल्क स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी ।

(2) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णांक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा । उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान को 2 हेक्टैयर का शुल्क देय होगा ।

(3) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापस योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि खदान द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

सारणी-तीन (जन सुनवाई हेतु प्रशासकीय शुल्क)

क्र.	प्रस्तावित विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड से कम	1,00,000
2	रूपये 50 करोड या उससे अधिक	5,00,000

2 नियम-5 में उप नियम (पांच) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये, अर्थात :-

"(पांच) (क) उद्योगों/संस्थानों/ईकाईयों द्वारा सारणी-चार के अनुसार एवं खदानों को सारणी पांच के अनुसार उत्पादन सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण शुल्क देय होगा, अर्थात :-

सारणी चार

क्र	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक	कुल लागत का 0.01 प्रतिशत
2	रूपये 10 करोड या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम	30,000
3	रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम	22,500
4	रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम	5,250
5	रूपये 50 लाख से कम	750

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण -

(1) सम्मति/नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सम्मति/नवीनीकरण की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक से 6 माह पूर्व सशुल्क आवेदन करना अनिवार्य होगा । यदि आवेदन सम्मति/नवीनीकरण की निर्धारित वैद्यता समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त होता है, तो **विलम्ब शुल्क** देय होगा, जो सम्मति/नवीनीकरण राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह होगा ।

(2) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णांक में की जायेगी । अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/- देय होगा।

(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा 'बिना मूल्य ह्रास' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा ।

सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.01 प्रतिशत के आधार पर देय होगा, जो न्यनूतम रूपये 15000/- से कम नहीं होगी ।

(4) कुल विनिधान के संबंध में गत वित्तीय वर्ष की बेलेंस शीट/ सीए सर्टीफिकेट अथवा संस्थान के संचालक द्वारा स्वयं सर्टीफाईड प्रमाण-पत्र

मान्य होगा । उक्त प्रमाण-पत्र चालू वित्तीय वर्ष हेतु गत वित्तीय वर्ष का ही मान्य होगा । प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् अंकेक्षित बैलेंस शीट की प्रति उपलबध कराना अनिवार्य होगा।

सारणी पांच

खदानों से उत्पादन सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 5,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण :-

(1) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णांक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा । उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान से 2 हेक्टैयर का शुल्क देय होगा ।

(2) सम्मति/नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सम्मति/नवीनीकरण की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक से 6 माह पूर्व सशुल्क आवेदन करना अनिवार्य होगा । यदि आवेदन सम्मति/नवीनीकरण की निर्धारित वैद्यता समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त होता है, तो **विलम्ब शुल्क** देय होगा, जो सम्मति नवीनीकरण राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह होगा ।

3 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, बैट्री (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2001, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम 2016, अपशिष्ठ प्लास्टिक नियम 2016, ई-अपशिष्ठ (प्रबंधन) नियम 2016 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पंजीयन/अनुमति/प्राधिकार हेतु निम्नानुसार प्रशासकीय शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

क्र.	नियम	पंजीयन / अनुमति/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)	
1	जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016	प्राधिकार	क्लीनिक, पेथोलॉजी लेब, ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड चिकित्सकीय संस्थान	रूपये 5,000/- एक बार आजीवन
			चिकित्सालय चार शैया तक	रूपये 2,000/- प्रति वर्ष
			चार शैया से अधिक शैया होने पर	रूपये 200/- प्रति शैया प्रति वर्ष अतिरिक्त
			जीव चिकित्सा अपशिष्ठ अपवहन संस्थान	रूपये 25,000/- प्रति वर्ष
			जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन में संलग्न परिवहनकर्ता संस्थान	रूपये 10,000/- प्रति वर्ष
2	नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016	प्राधिकार	नगरीय ठोस अपशिष्ठ अपवहन प्रसंस्करण में संलग्न संस्थान का ऑपरेटर :-	
			प्रतिदिन 100 टन तक अपशिष्ठ निपटान व्यवस्था	रूपये 20,000/- प्रति वर्ष
			प्रतिदिन 100 से अधिक किन्तु 500 टन तक अपशिष्ठ निपटान	रूपये 50,000/- प्रतिवर्ष
			प्रतिदिन 500 टन से अधिक अपशिष्ठ निपटान	रूपये 1,00,000/- प्रतिवर्ष
3	बैट्री (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001	पंजीयन/ प्राधिकार	नियम की परिधि में आने वाले उद्योग/संस्थान/ईकाई	रूपये 2,000/- प्रतिवर्ष
4	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016	पंजीयन/ अनुमति /प्राधिकार	**1 उत्पादक एवं संग्राहक हेतु**	
			रूपये दस करोड से अधिक कुल विनिधान वाले उद्योगों/संस्थानों/ इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की खदानों हेतु प्राधिकार	रूपये 50,000/- (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 30,000/-(5 वर्ष हेतु)
			रूपये दस करोड तक कुल विनिधान वाले उद्योगों/संस्थानों/ इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर तक क्षेत्र वाली खदानों हेतु प्राधिकार	रूपये 30,000/-(5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 20,000/-(5 वर्ष हेतु)
			2. खतरनाक अपशिष्ठों का केवल परिवहन करने वाले परिवहनकर्ता संस्थानों हेतु प्राधिकार	रूपये 5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 2,50,000/- (5 वर्ष हेतु)

			3. खतरनाक अपशिष्टों का उपचार एवं अपवहन करने वाले संस्थानों हेतु प्राधिकार	रूपये 10,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
			4. मोबाईल टॉवर के साथ पृथक से संचालित डी.जी.सेट के प्राधिकार	रूपये 5,000/- (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 3,000/- (5 वर्ष हेतु)
5	अपशिष्ठ प्लास्टिक नियम,2016	पंजीयन/ प्राधिकार	रूपये 50 लाख कुल विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थान/इकाईयों हेतु पंजीयन/प्राधिकार	रूपये 5,000/-
			रूपये 50 लाख अथवा अधिक कुल विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों हेतु पंजीयन/प्राधिकार	रूपये 50,000/- अथवा उद्योग/संस्थान के कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत जो भी अधिक हो ।
6	ई-अपशिष्ठ (प्रबंधन) नियम, 2016	पंजीयन/ प्राधिकार	नियम की परिधि में आने वाले उद्योग/संस्थान/ईकाई	रूपये 5,000/- प्रति वर्ष

उक्त अधिसूचना 01 जुलाई,2018 से प्रभावशील होगी ।

No F5-5/2009/32- In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government after consultation with the Madhya Pradesh Pollution Control Board, hereby makes the following further amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975 namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In Rule 4, sub Rule (5) the following clause shall be substituted, namely :-

(5) "Application from shall be duly accompanied by the consent fee as specified in the following Table-One by industries/institutes/units, where as for mines application from shall be accompanied with fees as specified in Table-Two. The administrative fees chargeable by the State Board for conducting public hearing for projects or

activities listed in the Schedule of Environment Impact Assessment Notification, S.O. 1533(E) dated 14.09.2006 shall be as per the Table-Three.

Table-One

S.No	Total Investment (Rs.)	Fees (Rs.)
1	Equal to or more than 50 crores	0.02% of the total investment
2	Equal to or more than 10 crores but less than 50 crores	90,000
3	Equal to or more than 3 crores but less than 10 crores	60,000
4	Equal to or more than 50 Lac but less than 03 crores	15,000
5	Less than Rs 50 lac.	1,500

Fees will be charged separately for applications under Water Act and Air Act.

Explanation :-

1. The consent to establish shall be valid for 5 years from the month of its issuance. After five year, in case of no construction/establishment by the industry/institutes/unit have to again new consent to establish shall have to be obtained and fee will also be payable.
2. The computation of fee shall be rounded off to whole number of next Rs. 100/- i.e., if the fee computed is Rs. 101/- for any industry/institutes/unit, fee of Rs 200/- shall be payable.
3. In computation of fee, the Total Investment means 'Gross block of investment in fixed assets without depreciations' by industries/institutes/units. For stand alone water treatment plants/sewage treatment plants installed by urban local bodies/establishments, the consent fee will be calculated on the basis of 0.02% of the Total Cost of the plant which will not be less than a minimum of Rs. 25,000/.
4. Refund of Fee : No fee shall be refunded once the consent is granted. In case, the consent is not granted, if the applicant makes a demand for its refund, after deduction of 50% amount as administrative expenses, balance amount will be refunded. This will be considered only when the industry/institutes/unit has not undertaken any activities of establishment at that site.

Table-Two

Fees form mines for Consent to Establish will be levied as Rs 10,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for application under Water Act and Air Act.

Note :-

[1] The consent to establish shall be valid for 5 years from the month of its issuance. After five year, in case of no start of work by the mine have to again obtain new consent to establish and fee will also be payable.

[2] In area based fee computation, the area in fraction of a hectare shall be rounded off to next whole hectare for levy of fees, For example 1.051 hectares mine shall have to pay fee for 2.0 hectares.

[3] Refund of Fee : No fee shall be refunded once the consent is granted. In case, the consent is not granted, if the applicant makes a demand for its refund, after deduction of 50% amount as administrative expenses, balance amount will be refunded. This will be considered only when the mine has not undertaken any activities of establishment at that site.

Table-Three (Administrative fee for Public Hearing)

S.no.	Proposed Investment (Rs.)	Fee (Rs.)
1	50 Crore & below	1,00,000.00
2	50 Crore & above	5,00,000.00

2. In Rule 5, sub Rule (5), the following clause shall be substituted, namely :-

(5) (a) : "The industries/institutes/units shall pay Consent to Operate/Annual consent renewal fee as specified in the Table-Four and the mines shall pay as per Table-Five.

Table-Four

S.No	Total investment (Rs.)	Fees (Rs.)
1	Equal to or more than 50 crores	0.01% of the Total Investment
2	Equal to or more than 10 crores but less than 50 crores	30,000
3	Equal to or more than 3 crores but less than 10 crores	22,500
4	Equal to or more than 50 Lac but less than 03 crores	5,250
5	Less than Rs 50 lac.	750

Fees will be charged separately for application under Water Act and Air Act.

Explanation:-

1. For consent/renewal, an application with fee shall be made six months prior to the expiry of its validity. If application for consent/renewal is made after the expiry of its validity, late fee shall be imposed, which shall be 2% of Consent/Renewal fee per month.
2. The computation of fee shall be rounded off to whole number of next Rs. 100/- i.e., if the fee computed is Rs. 101/- for any industry/institutes/unit, fee of Rs 200/- shall be payable.
3. In computation of fee, the Total Investment means 'Gross block of investment in fixed assets without depreciations' by industries/institutes/units. For stand alone water treatment plants/sewage treatment plants installed by urban local bodies/establishments, the consent fee will be calculated on the basis of 0.02% of the Total Cost of the plant which will not be less than a minimum of Rs. 15,000/.
4. For Total Investment, balance sheet/ certificate from C.A. or self certification by Director of the industry/institutes/unit shall be acceptable. For the current financial year, the copy of certificate of the last financial year only will be accepted. After every three years it will be necessary to submit copy of the audited balance sheet.

Table-Five

Fee from mines for consent to operate/annual consent renewal will be Rs 5,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for applications under Water Act and Air Act.

Note :-

1. In area based fee computation, the area in fraction of a hectare shall be rounded off to next whole hectare for levy of fees, For example 1.051 hectares mine shall have to pay fee for 2.0 hectares.
2. Refund of Fee : No fee shall be refunded once the consent is granted. In case. the consent is not granted, if the applicant makes a demand for its refund, after deduction of 50% amount as administrative expenses, balance amount will be refunded. This will be considered only when the mine has not undertaken any activities of establishment at that site.

3. Under Environment (Protection) Act. 1986. for registration/permission/ authorization issued by M.P. Pollution Control Board under the Bio-Medical Wastes Management Rules, 2016. Solid Waste Management Rules, 2016, The Batteries (Management and Handling) Amendment Rules 2001, The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules,

2016, Plastic Waste Management Rules, 2016, E-Waste (Management) Rules 2016, following fee is prescribed :-

SN	Rule	Registration/ Permission/ Authorisation	Administrative Fee (Rs.)	
1	The Bio-Medical Wastes Management Rules, 2016	Authorisation	Clinic, Pathological Laboratories Blood Bank and Other Non Bedded medical Institutions	Rs 5,000/- For Life Time
			Hospitals Up To 4 Bed	Rs. 2000/- per year
			Hospitals above 4 bed	Rs 200/- Per Year Per Bed additional
			Bio- Medical Waste Treatment Facilities	Rs 25,000/- Per Year
			Institutes engaged in Bio-Medical Waste transportation	Rs 10,000/- Per Year
2	The Solid Waste Management Rules, 2016	Authorisation	Solid Waste Treatment & Disposal Facilities operator	
			Solid Waste Treatment & Disposal Facilities upto 100 tonnes per day	Rs. 20000/- per year
			Solid Waste Treatment & Disposal Facilities for capacity more than 100 tonnes per day but less than 500 tonnes per day	Rs. 50000/- per year
			Solid Waste Treatment & Disposal Facilities for capacity above 500 tonnes per day	Rs 1,00,000/- per year
3	Batteries (Management and Handling) Rules 2001	Registration/ Authorization	Industry/Institute/Units covered under the Rules	Rs. 2000/- per year
4	The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016	Registration/ Permission/ Authorisation	1. For Generator and Storage	
			Authorisation for Industries/ Institutes/Units with total investment above Rs 10 crores & mines above 5 hactares.	Rs. 50,000/- (for five years)
			Renewal of authorisation for above	Rs. 30,000/- (for five years)
			Authorisation for Industries/ Institutes/Units with total investment upto Rs 10 crores & mines upto 5 hactares.	Rs 30,000/- (for five years)
			Renewal of authorisation for above	Rs. 20,000/- (for five years)
			2. Authorisation for Industry/ Institutes/ units engaged in only Transportation of Hazardous waste	Rs 5,00,000/- (for five years)

			Renewal of authorisation for above	Rs. 2,50,000/- (for five years)
			3. Authorisation for operators of "Common Treatment, Storage And Disposal Facility"	Rs 10,00,000/- (for five years)
			Renewal of authorisation for above	Rs. 5,00,000/- (for five years)
			4. Authorisation for Operator of DG sets installed with mobile towers, administrative fee for authorisation	Rs 5,000/- (for five years)
			Renewal of authorisation for above	Rs. 3,000/- (for five years)

5	Plastic Waste Management Rules, 2016	Registration/ Authorization	Industries/Institutes/Units having Total Investment upto Rs 50 Lac-	Rs 5,000/- per year
			Industries/Institutes/Units having Total Investment aboye Rs 50 Lac-	Rs 50,000/- or 0.01% of the total Investment which ever is more.
6	E-Waste (Management) Rules 2016	Registration/ Authorisation	Industry/Institute/Units covered under the Rules	Rs. 5000/- per year

The above notification will be effective from 1st July, 2018

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

PBX (0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /स्था.शाखा/मुप्रनिबो/2021, भोपाल, दिनांक / /2021

//आदेश//

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ठों के परिवहन हेतु वर्ष 2005 में बनाई गई मार्गदर्शिका राज्य बोर्ड की 129 वीं बैठक दिनांक 28/8/2012 में अनुमोदन उपरांत आदेश दिनांक 12/11/2012 से प्रदेश के उद्योगों हेतु लागू की गई है।

उक्त मार्गदर्शिका अनुसार परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रंबधन, एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अन्तर्गत प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्टों के परिवहनकर्ताओं द्वारा लिये जाने वाले प्राधिकार हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5-5/2009/32 भोपाल दिनांक 26 जून, 2018 के पैरा-3 अनुसार प्रशासकीय शुल्क रूपये 5.00 लाख निर्धारित किया गया है ।

परिसंकटमय अपशिष्टों के परिवहनकर्ताओं द्वारा पुराने वाहन बदलने संबंधी पूर्व से जारी प्राधिकार पत्र में संशोधन संबंधी आवेदन हेतु पृथक से प्रशासकीय शुल्क देय नहीं होगा ।

(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

क्रमांक 627 /स्था.शाखा/मुप्रनिबो/2021, भोपाल, दिनांक 20/APR/2021

प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त शाखा प्रभारी/ आँचलिकअधिकारी/ क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मध्य प्रदेश प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वित्त अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।